उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
Uttarakhand Subordinate Services Selection Commission

पत्रांक /Ref. No.: 939/2021 दिनांक /Date.: 22/9/2021

संवाद–157

विषयः– EWS प्रमाण पत्र के संबंध में।

आयोग द्वारा संवाद संख्या 144 दिनांक 05.08.2021 के द्वारा EWS प्रमाण पत्र के संबंध में स्थिति स्पष्ट की थी, इसके बाद कई अभ्यर्थियों द्वारा दूरभाष से, ई–मेल से व अन्य माध्यमों से अलग–अलग पृच्छायें की जा रही हैं। अधिकांश पृच्छायें EWS प्रमाण पत्र की अवधि को लेकर है कि वह कब तक का मान्य होगा।

इस संबंध में यह स्पष्ट करना है कि विहित प्राधिकारी (सामान्यतया तहसीलदार) द्वारा जो प्रमाण पत्र जारी किया गया है वही मान्य किया जाएगा, उस प्रमाण पत्र में जो भी अवधि लिखी गयी है, उस अवधि तक ही प्रमाण पत्र मान्य होंगे, यदि किसी प्रमाण पत्र में कोई अवधि नहीं लिखी गयी है व केवल जारी करने की तिथि है तब वह राज्य सरकार के आदेश के अनुरूप अगले 31 मार्च तक के लिए मान्य होगा।

उदाहरण के लिए एक प्रमाण पत्र में लिखा गया है कि जारी होने की तिथि से 1 वर्ष के लिए, व प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। या उस तिथि तक के लिए मान्य होगा जो प्रमाण पत्र में अंकित की गयी है। जब किसी मामले में केवल जारी करने की तिथि अंकित है व अन्य कोई तिथि अंकित नहीं है तब वह जारी करने की तिथि से आगामी 31 मार्च तक के लिए मान्य होगा।

अभ्यर्थियों के उपयोगार्थ यह स्पष्टीकरण दिया जा रहा है।

आयोग की ओर से,

22/9/21

(संतोष बडोनी)
सचिव

उत्कृष्टता पारदर्शिता वस्तुनिष्ठता
राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय परिसर, रिंग रोड़, लाडपुर, देहरादून उत्तराखण्ड Office Campus of State Election Commission, Ring Road, Ladpur, Dehradun, Uttarakhand
दूरभाष (कार्या0): 0135-2669658, फैक्स: 0135-2672902, वैबसाईट : www.sssc.uk.gov.in, ईमेल: chayanayog@gmail.com